उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

पो. गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404

दूरभाष: 01334-244282, फैक्स: 244282

वैबसाइट:ukpsc.gov.in

पत्रांक सं0: 416/43/ई0–1/डी०पी०सी०/2016–17 दिनांक 06 मार्च, 2017

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
सिंचाई विभाग (अनुभाग–1),
देहरादून।

विषयः–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अर्न्तगत चयन वर्ष 2016–17 में कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति द्वारा चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र सं0 106/।।–2016–01(34)/2012, दिनांक 30 जनवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु अधियाचन प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में **चयन समिति की बैठक दिनॉक 09.03.2017 को अपराह्न 03.00 बजे, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में निर्धारित की गयी है।**

2. यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत पदोन्नति के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु चयन समिति की बैठक से पूर्व निम्न सूचनाऐं अपेक्षित हैं:–

(1) शासन द्वारा वरिष्ठता कमांक–82 से 113 तक के कार्मिकों को पात्रता सूची में सम्मिलित किया गया है, यह उल्लेख करना है कि वरिष्ठता कमांक–84 से 89, 91, 92, 95, 103, 104, व 106से 109 एवं 111 तक के कार्मिक को पात्रता सूची सम्मिलित नहीं हैं, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराना आवश्यक है।

(2) चयन वर्ष 2016–17 की 12 रिक्तियों के सापेक्ष अधियाचन प्राप्त हुआ है। उक्त रिक्तियां जिस आधार पर उत्पन्न हुई हैं, उसके सम्बन्ध में सेवानिवृत्त कार्मिक के नाम सहित तिथिवार विवरण अपेक्षित है।

(3) अधियाचन में 12 रिक्तियों में 03 रिक्तियां डिग्रीधारी कोटे की सम्मिलित की गयी हैं। इस सम्बन्ध में इस आशय का प्रमाण पत्र अपेक्षित है कि चयन वर्ष 2016–17 के सापेक्ष डिग्री कोटे से कोई भी कार्मिक पात्र नहीं है।

3. यह अवगत कराना है कि चयन समिति के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली–2003 के नियम–11 के अनुसार शासन प्रतिनिधि, जो कि अपर सचिव पद से कम स्तर के न हों तथा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में विभागाध्यक्ष को नामित किया जाना आवश्यक है।

क्रमशः.....2

4. यह उल्लेख करना है कि पात्र कार्मिकों के सेवा अभिलेख, यथा वार्षिक चरित्र प्रविष्टियाँ इत्यादि मूलरूप में अभिलेखों से मिलान करने के लिए विभाग के विज्ञ अधिकारी के साथ दिनॉक 07.03.2017 को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अभिलेखों के परीक्षण करने के पश्चात मूल अभिलेख चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि कृपया नामित अधिकारीगण को चयन समिति की बैठक **दिनॉक 09 मार्च, 2017 के अपराह्न 03.00 बजे** में प्रतिभाग करने की सूचना प्रदान करते हुए, नामित सदस्यों के नाम, पदनाम व दूरभाष की सूचना अधोहस्ताक्षरी को ***फैक्स संख्या (01334–244282)*** **एवं ई मेल– examoneukpsc@gmail.com** पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव),
सचिव।

संख्या: /43/ई0–1/डी०पी०सी०/2016–17 तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपि:– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 राम बिलास यादव),
सचिव।